रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 29, 1973/माघ 9, 1894
No. 38] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1973/MAGHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a seperte compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

[Border Security (II) Section (G&Q)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January 1973

S.O. 46(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Rajasthan for a period of six months with effect from 8th January, 1973, as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

गृह मंत्रालय

[सीमा सुरक्षा (ii) विभाग (जी एण्ड क्यू]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1973

सा० नि० 46 (अ)—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है

कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-1973 से 7-7-1973 तक छह मास के लिये राजस्थान में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०-II (जी० एण्ड क्यू)]

S.O. 47(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in West Bengal for a period of six months with effect from 8th January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 47 (अ)—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा, (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-1973 से 7-7-1973 तक छह मास के लिए वेस्ट बंगाल मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69—बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 48(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Haryana for a period of six months with effect from 8th January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 48(अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 8-1-1973 से 7-7-1973 तक छह मास के लिए हरियाणा मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 49(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Bihar for a period of six months with effect from 17th January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 49 (अ)—सरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धो के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 17-1-1973 से 16-7-1973 तक छह मास के लिये बिहार मे सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी ।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O. 50(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Delhi for a period of six months with effect from 23rd January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 50 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 23-1-1973 से 22-7-1973 तक छह मास के लिये केरली से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-(जी एण्ड क्यू)]

S.O. 51(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968) the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Kerala for a period of six months with effect from 25th January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

सा० नि० 51 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 25-1-1973 से 24-7-1973 तक छह मास के लिये केरला में सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

S.O 52(E).—In pursuance of the provisions of clause (a) of sub-section (i) of section 2 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby declares the duty by every person referred to in the said clause (a) serving in Meghalaya for a period of six months with effect from 31st January, 1973 as active duty.

[No. F. 9/28/69-BS. II(G&Q).]

G. PARKASH, Jt. Secy.

सा० नि० 52 (अ).—सुरक्षा दल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा की उपधारा (i) के खण्ड (क) उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी जो 31-1-1973 से 30-7-1973 तक छह मास के लिये मेघालय से सेवारत होगा वह सक्रिय ड्यूटी होगी।

[सं० एफ० 9/28/69-बी० एस०-II (जी एण्ड क्यू)]

ज्ञान प्रकाश, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973